

24.1.2025

2025/88


21.1.2025

फर्द अहकाम (नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ रजीराम बनाम कृष्णकुमार आदि

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 32 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
17.01.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 17.02.2025 को पेश हो।	
17.1.2025	<p>1 कुलीए फसकन उपस्थित/PU माह 2025</p> <p>पत्रावली 21.1.2025</p> <p>दिनांक 21.1.2025</p>	
24.1.2025	<p>1 कुलीए फसकन उपस्थित/PU माह 2025</p> <p>पत्रावली 24.1.2025</p> <p>दिनांक 24.1.2025</p>	
24.6.2025	<p>1 कुलीए फसकन उपस्थित/PU माह 2025</p> <p>पत्रावली 24.6.2025</p> <p>दिनांक 24.6.2025</p>	
27.1.2025	<p>वकील वकील एडवोकेट द्वारा के धारणा-पत्र मित्राल पेश करे पर पत्रावली को पेशी में लिपि गणना वकील वकील के निवेदन किया कि वकील वकील का धारणा-पत्र के कारण वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं, मौजूदा रिधनि के खरीज करवाना चाहते हैं। कल वाद-पत्र मौजूदा रिधनि के खरीज किया जाना है। पत्रावली नम्बर के का की जाना बाद एवनिव तकरील उम्दा दाखिल दफतर हो।</p>	<p>धारणा-पत्र के कारण को के धारणा-पत्र नहीं पाएंगे व रजीराम 50 करी 21.1.2025</p> 

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर